बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)–101/2007 ....

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना – 7

पटना, दिनांक :–

विषय :– केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राजस्व सर्वे मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान पर आधारित योजना के अंतर्गत राजस्व सर्वे मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु कुल 100.00 (एक करोड़) लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

2. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघुशीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप शीर्ष – 0206 – राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP) विषय शीर्ष– 28 01, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या – 40, विपत्र कोड – पी. 2029001030206 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी। यह उपआवंटन इसी शीर्ष में पूर्व में निर्गत के अतिरिक्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय अनुदान की राशि का उपबंध प्राप्त है। यह आवंटन विभागीय राज्यादेश सं0 791 दिनांक 13.05.2014 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

4. निविदा के माध्यम से क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर आवंटित राशि का व्यय 1124/= रूपये प्रति मानचित्र (सभी कर सहित) की दर से केवल शत प्रतिशत सत्यापित एवं शुद्ध मानचित्रों की डिजिटाईज्ड प्रति के लिए उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग एवं एजेंसी के साथ हुए एकरारनामा की शर्त्तों के आलोक में किया जाएगा।

5. योजना क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय के प्रस्ताव में सरकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या – 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृ0पृ0उ0

7. यह भी निदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के निदेशानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/इकाई कोड/मांग संख्या एवं विपत्र कोड अंकित किए जाएँगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

8. व्यय को आवंटन के अर्न्तगत रखते हुए राशि की निकासी की जाए एवं प्रत्येक माह में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)—101/2007 .... **पटना, दिनांक** :—
प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)—101/2007 .... **पटना, दिनांक** :—
प्रतिलिपि :— वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (प्रशाखा — 5) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)—101/2007 .... **पटना, दिनांक** :—
प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)—101/2007 .... **पटना, दिनांक** :—
प्रतिलिपि :— प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—डिजिटाईजेशन(केन्द्रीय योजना)—101/2007-31(आ0प्र0) **पटना, दिनांक** :—26/09/14
प्रतिलिपि :— विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

24/9/14

निदेशक

D:\Year 2014\Rakesh Kr\Director\letter to DDS reg Allottment 100.00 Lakh.doc